न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 92 सन 2022

अनवान :–

1. सेवकसिह पुत्र प्यारासिह जाति जटसिख निवासीचक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. निर्मलसिह पुत्र स्व गुरभजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्रसिह पुत्र स्व गुरभजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. गुरमेलसिह स्व गुरभजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. खुशवन्तसिह पुत्र स्व बलराज सिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सरजीत कौर पत्नी स्व राजसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 107/87 की कुल 3.7950हैक जिसमें वादी 1/30 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के दादा गुरभजनसिह 13/60 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

गुरजजनसिह पुत्र रतनसिह को देहान्त हो चुका है एव उसका एक लडका बलराजसिह का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है एव गुरभजनसिह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इसप्रकार गुरभजनसिह के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वज केसरसिह के नाम से दर्ज थी केसरसिह के दो पुत्र थे प्यारासिह एवं हरवंशसिह केसरसिह ने वाद भूमि की काश्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरभजनसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो गुरभजनसिह के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो गुरभजनसिह के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है ने पूर्वज के बाहमी बटवारा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गुरभजनसिह के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज गुरभजनसिह पुत्र रतनसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है तथा उनके एक पुत्र बलराजसिह पुत्र गुरभजनसिह का देहान्त हो चुका है इसप्रकार गुरभजनसिह के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो गुरभजनसिह के नाम दर्ज भूमि का पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वजों के बाहमी बटवारा में वादी के पिता प्यारासिह को वाद भूमि प्राप्त हुई थी तथा प्यारासिह ने वाद भूमि अपने पुत्र को दी जा चुकी है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने पूर्वजो के बाहमी बटवारा के अनुसार अपने हक हिस्सा की वाद भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 107/87 की कुल 3.7950हैव जिसमें वादी 1/30 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के दादा गुरभजनसिह 13/60 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

गुरजजनसिह पुत्र रतनसिह को देहान्त हो चुका है एव उसका एक लडका बलराजसिह का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है एवं गुरभजनसिह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इसप्रकार गुरभजनसिह के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वज केसरसिह के नाम से दर्ज थी केसरसिह के दो पुत्र थे प्यारासिह एवं हरवंशसिह केसरसिह ने वाद भूमि की काश्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरभजनसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो गुरभजनसिह के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो गुरभजनसिह के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है ने पूर्वज के बाहमी बटवारा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 107/87 की कुल 3.7950हैक जिसमें वादी 1/30 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के दादा गुरभजनसिह 13/60 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वजो के नाम से दर्ज थी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वजो ने वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी के पिता को प्राप्त हुई थी वर्तमान में वादी के नाम से दर्ज है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है वाद भूमि जो वर्तमान में गुरभजनसिह पुत्र हरवशसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है एव गुरभजनसिह के एक पुत्र बलराजसिह का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार गुरभजनसिह पुत्र हरवशसिह के जायज वारिसान जो गुरभजनसिह के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जिन्होने अपने पूर्वजो के बाहमी बटवारा के मध्यनजर अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 107/87 की कुल 3.7950हैक जिसमें वादी 1/30 हिस्सा एव गुरभजनसिह पुत्र रतनसिह 13/60 हिस्सा भूमि दर्ज है में से गुरभजनसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सेवकसिह पुत्र प्यारासिह जाति जटसिख निवासीचक 1, आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. निर्मलसिह पुत्र स्व गुरभजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्रसिह पुत्र स्व गुरभजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. गुरमेलसिह स्व गुरभजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. खुशवन्तसिह पुत्र स्व बलराज सिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सरजीत कौर पत्नी स्व राजसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 92 सन 2022 निर्णय दिनांक– 21/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 107/87 की कुल 3.7950हैक जिसमें वादी 1/30 हिस्सा एव गुरभजनसिह पुत्र रतनसिह 13/60 हिस्सा भूमि दर्ज है में से गुरभजनसिह का नाम कलगजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner